



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2019/आषाढ़ 20, 1941

No. 403]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2019/ASHADHA 20, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सा.का.नि. 494(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक(जनरल ड्यूटी काडर) (अराजपत्रित) (पुरुष और महिला) समूह "ग" पद भर्ती नियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप निरीक्षक (जनरल ड्यूटी काडर) (अराजपत्रित) (पुरुष और महिला) समूह "ग" भर्ती (संशोधन) नियम 2019 है।
- (2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक(जनरल ड्यूटी काडर) (अराजपत्रित) (पुरुष और महिला) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2019,-

(1) नियम -3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(2) अनुसूची में-

(अ) स्तंभ संख्या (4) में, स्तंभ के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर- 5 (29200-92300 रुपये)”

(ब) स्तंभ (11) में, “टिप्पण” शीर्षक के अधीन मद (2) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम.पांच-1/2018-स्था-7 वां सीपीसी]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-II)

टिप्पण : अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 893(अ) तारीख 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में तारीख 23 दिसम्बर 2011 को ये मूल नियम प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

G.S.R. 494 (E) .—In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949(66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force, Assistant Sub-Inspector (General Duty Cadre) (Non Gazetted) (Male and Female) Group ‘C’ post Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Sub-Inspector (General Duty Cadre) (Non Gazetted) (Male and Female) Group ‘C’ post, Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force, Assistant Sub-Inspector(General Duty Cadre) (Non Gazetted) (Male and Female) Group ‘C’ post Recruitment Rules, 2011,-

(1) For rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

“3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of post, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”

(2) in the Schedule,-

(a) in column(4) for the column heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

“Level in the pay matrix
(4)
Level -5 (Rs. 29200 - 92300/-)” ;

(b) in column (11), under heading “Note”, item(2) shall be omitted.

[F. No. M.V-1/2018-Estt-7th CPC]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, sub-section(i) dated 23rd December, 2011 *vide* notification number G.S.R 893 (E), dated the 20th December, 2011.